छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा दशम् सत्र अंक-5

नवा रायपुर अटल नगर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 26, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 63 तारांकित एवं 79 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

महतारी वंदन योजना हेतु अपात्रता का आधार संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-04 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-07 (स्थानीय निकाय), **पटल पर रखा ।**

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्रीमती गोमती साय (सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति) ने समिति का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

(2) श्री धर्मजीत सिंह (सभापति, याचिका समिति) ने समिति का षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) श्री भईयालाल राजवाड़े (सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति) ने समिति का अष्टम्, नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. पृच्छा

शून्यकाल के दौरान सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन, ब्यास कश्यप, अटल श्रीवास्तव, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, अनुज शर्मा, लालजीत सिंह राठिया, दलेश्वर साहू, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भोलाराम साहू, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री दीपेश साहू, विनायक गोयल, श्रीमती रायमुनी भगत, सर्वश्री रोहित साहू, विक्रम मंडावी सहित कुल 20 सदस्यों ने विविध विषयों पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया ।

6. मंत्रि-परिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उनके मंत्रि-परिषद् के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष की अनुमति से आरोप-पत्र की प्रति सभा पटल पर रखी।)

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किये गये :-

मंत्रि-परिषद् के विरूद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होने से पहले मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र का यह ऐसा विशिष्ट

उदाहरण है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार की कमियों एवं चूकों के संबंध में लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर प्रतिपक्ष को मिलता है। लोकतंत्र में संसदीय प्रक्रिया की यह उत्कृष्ट और सराहनीय परंपरा है, जिसे जीवंत रखना भी आपकी हमारी जिम्मेदारी है। यहां पर मैं कबीरदास जी के एक दोहे को भी उद्धरित करना चाहता हूं।

"निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय।

बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।।"

मेरा आप सभी से सादर अनुरोध है कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में जब आप अपने भाषण में अपने विचार रखेंगे तो व्यक्तिगत एवं अनावश्यक आरोपों से बचें एवं स्वस्थ संसदीय परंपरा के अनुरूप शालीन और संसदीय भाषा में अपना पक्ष रखें।

आप अपनी बात रखते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई आरोप नाम से ना लगायें जो सदन का सदस्य नहीं है। साथ ही यथासंभव एक-दूसरे के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना व्यक्त करने का प्रयास करें एवं व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए।

चूंकि मेरे पास वक्ताओं की लंबी सूची है, इसलिए मेरा आप सभी से एक अनुरोध और है कि आप सब आरोपों की पुनरावृत्ति ना हो इसका भी ध्यान रखें। साथ ही निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखे जाने की भी आपसे अपेक्षा करता हूं।

कृपया, सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहते समय शिष्टता, शालीनता, गरिमानुरूप तथा संसदीय शब्दावली का प्रयोग करें।

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

7. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

8. मंत्रि-परिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

श्री कवासी लखमा, श्री विजय शर्मा (उप मुख्यमंत्री, गृह)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(चर्चा के दौरान वाद-विवाद एवं व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 5.23 बजे स्थगित की जाकर 5.29 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

9. मंत्रि-परिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव (क्रमश:)

सर्वश्री दलेश्वर साहू, धरमलाल कौशिक, राघवेन्द्र कुमार सिंह

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री रामविचार नेताम

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज रात्रि भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।)

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री राजेश मूणत, विक्रम मण्डावी, धर्मजीत सिंह

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री किरण देव

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

श्री ब्यास कश्यप, अरूण साव (उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण), श्री भूपेश बघेल,

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

10. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

माननीय सदस्यगण देर रात्रि हो चुकी है इसलिए मैं अपना उद्बोधन लम्बा नहीं कहूंगा । षष्ठम् विधान सभा के इस दशम् सत्र में जो 13 जुलाई से 17 जुलाई तक चला । आप सब सदस्यों ने संसदीय एवं विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादित किया, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्यमंत्री, पक्ष-प्रतिपक्ष के समस्त सदस्यगण के सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद् देता हूं । सभापति तालिका के सदस्यों को धन्यवाद् देता हूं ।

छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए इस सत्र में आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादित की । मैं सम्माननीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ शासन के मुख्य सचिव, सुरक्षा में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों, विधान सभा सचिव श्री दिनेश शर्मा एवं उनके सहयोगियों की भी प्रशंसा करता हूं । परम्परानुसार आगामी सत्र की संभावित तिथी माह दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में संभावित है । आप सभी को धन्यवाद् । जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

(राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" एवं राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजायी गई)

(रात्रि 2.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा